भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 13
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में सी-प्लेन परिचालन की स्थिति

13. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सी-प्लेन परिचालन के लिए प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सी-प्लेन परियोजनाओं के लिए आवश्यक/मांगा गया और आवंटित कुल बजट कितना-कितना है;

(ग) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सी-प्लेन परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में सी-प्लेन परिचालन को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे में संशोधन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक 3.0 (आरसीएस-'उड़ान' 3.0) के अंतर्गत वाटर एयरोड्रोमों से सी-प्लेन परिचालन शुरू किए हैं। बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान, 32 वैध सी-प्लेन मार्ग अवार्ड किए गए हैं जो गुजरात, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सी-प्लेन परिचालन के लिए 25 वाटर एयरोड्रोमों को जोड़ते हैं।
(ख): 'उड़ान' योजना के तहत वाटर एयरोड्रोमों के विकास के लिए अब तक 122.52 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग): 'उड़ान' 5.5 के तहत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निम्नलिखित वाटर बॉडी को जोड़ने हेतु बोलियों के लिए एयरलाइन प्रचालकों को आशय-पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं: अराकू (डब्ल्यू), गंडिकोटा (डब्ल्यू), काकीनाड़ा (डब्ल्यू), कोनासीमा

(डब्ल्यू), लांबासिंगी (डब्ल्यू), नरसापुर (डब्ल्यू), प्रकाशम बैराज (डब्ल्यू), रुशिकोंडा (डब्ल्यू), श्रीशैलम (डब्ल्यू), तिरुपति (डब्ल्यू) और नागार्जुन सागर (डब्ल्यू)।

(घ) और (ङ): डीजीसीए ने निम्नलिखित संशोधित सीएआर लागू करते हुए देश में सी-प्लेन के परिचालन के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को संशोधित किया है।

सीएआर खण्ड 3 श्रृंखला ग भाग IX जिसमें "सी-प्लेन परिचालन के लिए न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं" का उल्लेख है और

सीएआर खण्ड 7 श्रृंखला ख भाग XVI जिसमें "सी-प्लेन रेटिंग जारी करने के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाओं" का उल्लेख है।

संशोधित विनियम सी-प्लेन परिचालन के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाओं और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ-साथ वाटर एयरोड्रोमों हेतु स्थल चयन, विनिर्देशन और प्रचालन की अपेक्षाओं को भी सरल बनाते हैं।

*****